

क्रमांक :- २७

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

दिनांक :- २५/५/२१

॥ कार्यालय आदेश ॥

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति स्व.श्री मोहन एम. शान्तानागौदर का आकस्मिक देहावसान होने पर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश/नोटिस क्रमांक ई.वी./०७/२०२१ दिनांक २५.०४.२०२१ द्वारा दिनांक २६.०४.२०२१ को उच्च न्यायालयों जोधपुर व जयपुर बेंच एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राजकीय अवकाश घोषित होने से दिनांक २६.०४.२०२१ को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/ अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए समीक्षा गौतम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को अधिकृत किया जाता है:-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
२. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / उनियारा / मालपुरा / निवाई
३. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / देवली / टोडारायसिंह / मालपुरा / उनियारा / निवाई / दूनी
४. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली / न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
५. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक
६. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक
७. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक
८. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक
९. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक
१०. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईड पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक